हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

द्वितीय सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 13

शुक्रवार, 16 मार्च, 2018/25 फाल्गुन, 1939(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, डॉ0 राजीव बिन्दल की अध्यक्षता में 11.00 बजे (पूर्वाह्न) आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्याः 126 से 132 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिये गये। तारांकित प्रश्न संख्या 133 से 160 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गये।

(II) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्याः 17 व 18 के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा जो दिनांक 12.03.2018 को प्रारम्भ हुई थी, इसमें कुल 47 सदस्यों ने भाग लिया तथा चर्चा 16 घण्टे 49 मिनट तक चली। इसके साथ ही मुझे सदन की विभागीय स्थाई समितियों से अपेक्षा है कि वे सत्र के स्थगन के दौरान अनुदान मांगों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद अपने-अपने प्रतिवेदन 26 मार्च, 2018 को, जब सभा की बैठक पुनः प्रारम्भ होगी, प्रस्तुत करेगें। मुझे पूर्ण आशा है कि समितियों के सभापति एवं सभी सदस्य गहन रूची लेकर इस कार्य को सम्पन्न करेंगें और अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां सरकार को देंगे।

2. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री राकेश पठानिया, सदस्य, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **चतुर्थ मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2008-09 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **आयुर्वेद विभाग** से सम्बन्धित है;

(ii) समिति का **पंचम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2009-10 (सिविल/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **योजना विभाग** से सम्बन्धित है;

(iii) समिति का **षष्टम् मूल प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2010-11 (राज्य के वित्त/सामाजिक सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्र/राजस्व प्राप्तियाँ) पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है; और

(iv) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 104वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वित्त विभाग (आधिक्य)** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री सुख राम, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2017-18)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **सप्तम् कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 29वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2016-17) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **प्रथम मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2012-13) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर बना 11वां कार्रवाई प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15)

में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(3) **श्री सुरेश कुमार कश्यप, सभापति, सामान्य विकास समिति,** (**वर्ष 2017-18**) ने समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** जोकि मांग संख्याः13 के अन्तर्गत **सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य विभाग** की वित्तीय वर्ष 2017-18 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(4) **श्री बिक्रम सिंह जरयाल, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति,** (**वर्ष 2017-18**) ने समिति का **द्वितीय कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) जोकि समिति के 12वें मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **वन विभाग** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान-सामान्य चर्चा एवं समापनः

श्री जय राम ठाकुर, माननीय मुख्य मंत्री ने वित्तीय वर्ष 2018-2019 के बजट अनुमानों पर हुई समान्य चर्चा का उत्तर दिया।

(माननीय मुख्य मंत्री के उत्तर से असंतुष्ट विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन किया गया।)

सदन की बैठक अपराह्न 1.40 बजे सोमवार, दिनांक 26 मार्च, 2018 के अपराह्न 2.00 बजे तक स्थगित हुई।